XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–106/2010

धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट अन्तर्गत

1. रकीमउद्दीन, पिता–समीरउद्दीन
2. अनवरी बेगम, पिता–बसीरउद्दीन
3. दिलेरा बेगम, पति–रकीमउद्दीन

सभी का साकिन–बाँसवाड़ी, थाना–रौटा, जिला– पूर्णियाँ..... आवेदकगण

बनाम्

1. राज्य
2. कलीमउद्दीन, पिता–सिराजुल हक
3. मो0 जाहिद, पिता–कलीमउद्दीन
4. मो0 शब्बीर, पिता–समसुल
5. मो0 सफरूल, पिता–स्व0 सेहाल अली
6. मो0 नजमुल, पिता–सफरूल

सभी का साकिन–बाँसवाड़ी, थाना–रौटा, जिला– पूर्णियाँ..... विपक्षीगण

आदेश

आवेदक अंचलाधिकारी, वैसा द्वारा वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या–1/2009–10 में दिनांक 01.04.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षीगण ने मौजा–बाँसवाड़ी, थाना नं0–44, खाता संख्या–27, खेसरा संख्या–1283 के जमीन के पर्चा हेतु अंचलाधिकारी, वैसा को आवेदन दिया, जबकि उपरोक्त जमीन आवेदकगण की है और उनलोगों के दखल में है। अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन ने गलत प्रतिवेदन अंचलाधिकारी को प्रस्तुत किया। स्वंय अंचलाधिकारी द्वारा भी वास्तविक तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। विपक्षीगण ने खेसरा संख्या–1283 की जमीन का पर्चा बनाने हेतु आवेदन दिया था, लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा खेसरा संख्या–1284 का जमीन भी खेसरा संख्या–1283 के साथ पर्चा में दिया गया। जबकि खेसरा संख्या–1284, खाता संख्या–27 से अलग है और खेसरा संख्या–1284 की जमीन जिला परिषद की है। जिला परिषद की जमीन का पर्चा निर्गत करना नियमानुकूल नहीं है। विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य है और सभी को अपना–अपना घर है। विपक्षीगण प्रश्रय प्रापत रैयत भी नहीं है। इस प्रकार अंचलाधिकारी द्वारा वास्तविक तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए विपक्षीगण के नाम पर्चा निर्गत किया गया। अतः आवेदकगण निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय द्वारा निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गयायह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षीगण भूमिहीन है और अंचलाधिकारी द्वारा जाँच कर एवं सभी आवश्यक को पूरा करते हुए पर्चा निर्गत किया गया है। इस प्रकार निर्गत वासगीत पर्चा नियमानुकूल है। आवेदक भूमि हड़पने के उद्देश्य से विपक्षीगण को परेशान कर रहा है। अतः विपक्षीगण

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 18.11.2011 को सुनवाई की गयी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित आवेदन में उनके द्वारा बताये गये बातों को दोहराया गया। विपक्षी का कथन है कि वे भूमिहीन है एवं विवादित जमीन में इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान बना हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई से यह स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी के द्वारा पारित आदेश में विपक्षी के द्वारा मांग किये गये जमीन के अलावे अन्य खाता, खेसरा भी जोड़ दिया गया है एवं इस मामले में जिला परिषद की जमीन भी सम्मिलित होने की जानकारी आवेदक द्वारा दिया गया। इस मामले में पुनः जाँच/सुनवाई की आवश्यकता प्रतीत होता है।

इस परिप्रेक्ष्य में इस वाद को अंचलाधिकारी, वैसा को वापस करते हुए नियमानुसार जाँच/सुनवाई कर 02 (दो) माह के अन्दर इस वाद का निष्पादन करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ